उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार– 249404

पत्रांक : 410/06/E-1/DR/ACF/2019-20 **दिनांक : 17 जनवरी, 2020**

विज्ञप्ति

सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा–2019

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **सहायक वन संरक्षक परीक्षा–2019** हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या : A-1/E-1/ACF/2019-20 दिनांक 30 जुलाई, 2019 के सापेक्ष दिनांक 03 नवम्बर, 2019 को आयोजित प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम विज्ञप्ति संख्या : 124/06/गोपन–02/स0व0सं0प0 /2019–20, दिनांक 10 जनवरी, 2020 द्वारा घोषित किया गया है।

2– प्रारम्भिक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जमा कराते हुए, ऑनलाइन आवेदन पत्र सहित समस्त शैक्षणिक/आरक्षण संबंधी अभिलेख मंगाये जा रहे हैं। इस हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर दिये गये लिंक का प्रयोग करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु, निर्धारित अंतिम तिथि तक परीक्षा शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें।

मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा के पूर्व भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करते हुए, प्रिंटआउट के साथ, अपने दावों के समर्थन में समस्त शैक्षणिक/आरक्षण /अधिमानी अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, **दिनांक 10 फरवरी, 2020 (सोमवार)** की सायं 6.00 बजे तक (कार्य दिवस सोमवार से शुक्रवार) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, आयोग भवन, हरिद्वार के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा अन्य किसी भी माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करें :–

(i) हाईस्कूल प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।
(ii) इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।
(iii) स्नातक उपाधि एवं अंक तालिका (समस्त वर्षों/सेमेस्टर की)।
(iv) आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी। (यदि लागू हो)
(v) स्थायी निवास सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी। (यदि लागू हो)
(vi) यदि अभ्यर्थी सेवायोजित हैं, तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र।
(vii) यदि अभ्यर्थी पूर्व सैनिक हैं, तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की छायाप्रति अवश्य संलग्न करें।
(viii) अधिमानी अर्हता से संबंधित प्रमाणपत्र, जिसका ऑनलाइन आवेदन में दावा किया हो।
(ix) यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण–पत्रों में साम्य न हो उक्त के संबंध में शपथ पत्र।
(x) ऊँचाई के मानक में छूट के लिए अभ्यर्थियों को विज्ञापन के परिशिष्ट–3 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3– आरक्षण के दावे की पुष्टि जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम. /तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। (शासनादेश : 310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26 फरवरी, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु जारी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक

है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत **अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र** प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए।)

4– जिन अभ्यर्थियों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन किया गया है अथवा उक्त श्रेणी का दावा किया गया है, उक्त अभ्यर्थियों को उनके द्वारा किये गये दावे के समर्थन में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी से संबंधित होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

5– मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने, ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त करने व समस्त अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा करने से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् हैः–

i	मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क **Net Banking/Debit Card/Credit Card** के माध्यम से जमा करने तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करने की प्रारम्भ तिथि–	18 जनवरी, 2020 **(शनिवार)**
ii	मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क **Net Banking/Debit Card/Credit Card** के माध्यम से जमा करने तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि–	01 फरवरी, 2020 **(शनिवार)**
iii	ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट (समस्त संलग्नकों सहित) आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि	10 फरवरी, 2020 **(सोमवार)**

6– मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह अभ्यर्थी को अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के अनुसार निम्नवत् परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य हैं–

क्र0सं0 (Sr. No.)	**श्रेणी (Category)**	**आवेदन–शुल्क (Aplication Fees)**	**प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)**	**कुल शुल्क (Total Fees)**
01.	अनारक्षित	रू0 150	रू0 23.60	रू0 173.60
02	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रू0 150	रू0 23.60	रू0 173.60
03.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रू0 150	रू0 23.60	रू0 173.60
04.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	रू0 60	रू0 23.60	रू0 83.60
05	उत्तराखण्ड शारीरिक दिव्यांगजन (OA & PD)	कोई शुल्क नहीं	रू0 23.60	रू0 23.60

नोटः– उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/ उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा– सामान्य श्रेणी या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

7– अभ्यर्थी आयोग को प्रेषित आवेदन पत्र के लिफाफे पर "Assistant Conservator of Forest (Mains) Exam-2019" एवं अनुक्रमांक का अंकन अवश्य करें।

8– निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क अंतिम तिथि तक जमा न करने तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट (समस्त संलग्नकों सहित) दिनांक **10 फरवरी, 2020 (सोमवार)** की सायं 6:00 बजे तक आयोग कार्यालय में जमा न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन मा0 आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस संबंध में कोई भी अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।

S/D
(राजेन्द्र कुमार)
सचिव।